



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 24

10 आषाढ 1942 (श०)
पटना, बुधवार, —
1 जुलाई 2020 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	भाग-9-विज्ञापन
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।
भाग-4-बिहार अधिनियम	पुरक
	पुरक-क

12-12

13-14

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

अधिसूचना

26 जून 2020

सं० म०/स्था०अ०रा०(अ०)-०१/२०१५-७३७—इस अधिसूचना के माध्यम से भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए राज्यपाल के द्वारा बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा भर्ती संशोधन नियमावली 2020 अधिसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डा० एन. सरवण कुमार, सरकार के सचिव।

मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के पश्चात् विभागों द्वारा अनुपालन हेतु
कार्यान्वयन अनुसूची का विवरण

विभाग का नाम : — बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य)

संचिका संख्या : — म०/स्था०अ०रा०(अ०)-०१/२०१५

विषय— “बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा भर्ती नियमावली, 2007” में संशोधन हेतु “बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा भर्ती संशोधन नियमावली, 2020” के प्रारूप के अनुमोदन।

निर्णय का सारांश	योजना, लाभ/फलाफल	समय सीमा एवं कार्यान्वयन की रीति/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को प्रतिवेदित किया जाना (अधिकतम सात दिन)
1	2	3
वर्तमान में “बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा भर्ती नियमावली, 2007” में स्नातक स्तर के तीन पद यथा मत्स्य प्रसार पदाधिकारी, मत्स्य निरीक्षक एवं मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक हैं। सरकार के द्वारा समय – समय पर गठित वेतन समितियों के द्वारा इन पदों के पुनर्गठन का परामर्श दिया गया है। वेतन समितियों के परामर्श के आलोक में उक्त नियमावली के परिशिष्ट- I के क्रम सं०- 6 एवं 7 में अंकित पद मत्स्य निरीक्षक एवं मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक का संविलयन कर एक नया पद “मत्स्य विकास पदाधिकारी” के रूप में पदनामित किए जाने का प्रस्ताव है। विभाग में मत्स्य प्रसार पदाधिकारी का पद संवर्ग का प्रारंभिक एवं महत्वपूर्ण पद है। इस पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता को और अधिक स्तरीय करते हुए उक्त नियमावली के परिशिष्ट-I के क्रम संख्या-5 के कॉलम-7 में अंकित शैक्षणिक योग्यता को “भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत मात्स्यिकी महाविद्यालय से मत्स्य विज्ञान में चार वर्षीय स्नातक डिग्री” से प्रतिस्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव है। विभाग में मत्स्य प्रसार पदाधिकारियों एवं मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षकों के नियमित नियुक्ति में विलम्ब तथा उक्त कर्मियों की संख्या में भारी कमी को देखते हुए विभागाधीन उक्त पदों पर वर्ष 2011 से संविदा के आधार पर सुयोग्य कर्मियों का नियोजन किया गया एवं प्रत्येक वर्ष नियोजित कर्मियों के संविदावधि का विस्तार भी किया जा रहा है। सम्प्रति ये कर्मी लगभग 8 वर्ष से विभाग में कार्यरत हैं। उक्त पदों पर अब लिखित परीक्षा के स्थान पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्राप्तांक एवं संविदा पर कार्यरत कर्मियों के कार्यानुभव को आगामी स्थायी नियुक्ति में निम्न रूपेण वेटेज दिए जाने का प्रस्ताव है:-	बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन के संलेख ज्ञापांक – 281 दिनांक 20.04. 2020 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 18.05.2020 में मद संख्या-10 के रूप में सम्मिलित किया गया। स्वीकृत।	सात दिनों के अन्दर।

(क) परिशिष्ट - I के क्रम सं0- 5 एवं 6 पर अंकित पदों के कंडिका- 7 में सीधी भर्ती हेतु वर्णित शैक्षणिक योग्यता के लिए प्राप्तांक :- 75 अंक (ख) मत्स्य निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों अथवा बिहार सरकार के अन्तर्गत अन्य विभाग अथवा राज्य सरकार से सम्बद्ध कार्यालयों में कृषि एवं मत्स्य प्रक्षेत्र के कार्य हेतु अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मों को कार्यानुभव के आधार पर:- 25 अंक		
--	--	--

(सरकार के प्रधान सचिव/सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव)

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

अधिसूचना

सं0 म0/स्था0अ0रा0(अ0)-01/2015- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, बिहार एतद् द्वारा पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा में भर्ती/प्रोन्नति के विनियंत्रण के लिए गठित "बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा-भर्ती नियमावली, 2007" का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।** :-यह नियमावली "बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा भर्ती (संशोधन) नियमावली 2020" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. **बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा-भर्ती नियमावली, 2007 के नियम-6 में संशोधन।** - उक्त नियमावली के नियम-6 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"6. भर्ती की प्रक्रिया- (1) **परिशिष्ट - I** के क्रम सं0- 5 एवं 6 पर अंकित पदों पर सीधी भर्ती हेतु विभाग 1ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना कर अध्याचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजेगा। तदनुसार आयोग द्वारा विज्ञापन निर्गत किया जाएगा एवं निम्नरूपेण मेधा सूची तैयार किया जाएगा:-

(क) **परिशिष्ट - I** के क्रम सं0-5 एवं 6 पर अंकित पदों के कंडिका-7 में सीधी भर्ती हेतु वर्णित शैक्षणिक योग्यता के लिए प्राप्तांक:- 75 अंक

(ख) मत्स्य निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों अथवा बिहार सरकार के अन्तर्गत अन्य विभाग अथवा राज्य सरकार से सम्बद्ध कार्यालयों में कृषि एवं मत्स्य प्रक्षेत्र के कार्य हेतु अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मों को कार्यानुभव के आधार पर:- 25 अंक

(2) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति की शैक्षणिक अहर्ता एवं कार्यानुभव के लिए अंकों की गणना निम्नरूपेण की जाएगी:-

(i) कॉलम- 4 में वर्णित शैक्षणिक योग्यता के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किए जाने वाले अंकों का अवधारण उक्त कोर्सों की परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को 0.75 के गुणक से गुणा करके होगा। यथा, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो तो उन्हें $50 \times 0.75 = 37.5$ अंक दिए जाएंगे।"

(ii) प्रत्येक कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंको की होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या को 5 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा।

3. **बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा-भर्ती नियमावली, 2007 के नियम 3 (1) (iii) का प्रतिस्थापन।** :-

उक्त नियमावली के नियम 3 (1)(iii) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

मत्स्य विकास पदाधिकारी/कनीय अभियन्ता।

4. **बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा-भर्ती नियमावली, 2007 के नियम 8 का प्रतिस्थापन।** :-उक्त नियमावली के नियम-8 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

"8. "परिशिष्ट - I की कंडिका 9 में इंगित परीक्षा अवधि 2 वर्ष होगी, जिसे यदि सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाती हो तो, लिखित रूप में अभिलिखित किये जा सकने वाले कारणों से, एक अतिरिक्त वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा।"

5. **बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा-भर्ती नियमावली, 2007 के नियम 9 का प्रतिस्थापन।** - उक्त नियमावली के नियम-9 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"9. "परिशिष्ट - I के कंडिका 10 में इंगित प्रशिक्षण की अवधि विभाग द्वारा, समय-समय पर, अवधारित की जा सकेगी।"

6. **बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा-भर्ती नियमावली, 2007 के नियम-10 का प्रतिस्थापन।** - उक्त नियमावली के नियम-10 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"10. "नियमावली के परिशिष्ट-I में उल्लिखित सीधी भर्ती के पदों के लिए विभागीय परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का अवधारण, केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा प्रशासी विभाग के परामर्श से, किया जाएगा। एतदसंबंधी परिशिष्ट-I के कॉलम-11 के प्रावधान, तदनुसार, स्वतः संशोधित समझे जाएंगे।"

7. बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा-भर्ती नियमावली, 2007 के परिशिष्ट - I का संशोधन। उक्त नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट-I में निम्नलिखित रीति से संशोधन किया जाएगा :-

(i) परिशिष्ट - I के क्रम सं0 04 के कॉलम-2 में अंकित पदों "जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/सहायक मत्स्य निदेशक" को जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/सहायक मत्स्य निदेशक/व्याख्याता द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ii) परिशिष्ट - I के क्रम सं0 05 के कॉलम-2 में अंकित पदों "मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/कनीय मत्स्य अनुसंधान पदाधिकारी को मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/कनीय मत्स्य अनुसंधान पदाधिकारी/कनीय व्याख्याता द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा। परिशिष्ट - I के क्रम सं0 05 के कॉलम - 7 में अंकित "किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मत्स्य विज्ञान में स्नातक की डिग्री अथवा सेन्ट्रल इन्स्टीच्यूट ऑफ फिशरीज एडुकेशन, मुम्बई से मत्स्य विज्ञान में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा" को "भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत मात्स्यिकी महाविद्यालय से मत्स्य विज्ञान में चार वर्षीय स्नातक डिग्री" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा। क्रम सं0 05 के कॉलम- 17 में उल्लिखित शब्द "मत्स्य निरीक्षक संवर्ग के पदधारकों से वरीयता-सह-सुयोग्यता के आधार पर जिन्होंने कम से कम 03 वर्षों की निर्धारित कालावधि पूरी कर ली हो" शब्द "मत्स्य विकास पदाधिकारी संवर्ग के पदधारकों से वरीयता-सह-सुयोग्यता के आधार पर जिन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर, यथावधारित कालावधि (मत्स्य निरीक्षक एवं मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक के पद पर बितायी गयी अवधि सहित) पूरी कर ली हो " द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

(iii) परिशिष्ट - I के क्रम सं0- 6 एवं 7 के संवर्ग/पद का संविलयन कर, "मत्स्य विकास पदाधिकारी" पदनामित किया जाएगा, जिसका विवरण अगले पृष्ठ पर अंकित है :-

क्र0	संवर्ग/पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	आयोग जिसकी अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति होनी है	सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
6.	मत्स्य विकास पदाधिकारी	स्वीकृत कुल पदों एवं पदोन्नति के पद के संबंध में प्रशासी विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश नियुक्ति अथवा प्रोन्नति हेतु मान्य होगा।	सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित	बिहार कर्मचारी चयन आयोग या बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग	बिहार सरकार द्वारा निर्धारित उभ्र सीमा

सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम योग्यता	नियुक्ति प्राधिकार	परिवीक्षा अवधि	प्रशिक्षण	विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम
7	8	9	10	11
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एस.सी. इण्डस्ट्रीयल फिश एण्ड फिशरीज (ऑनर्स) अथवा बी0एस0सी0 (एक्वाकल्चर) अथवा एम0एस0सी0, जन्तु विज्ञान (स्पेशल पेपर फिश)। अथवा केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, मुम्बई के केन्द्र से इनलैण्ड फिशरीज में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान के केन्द्र से फिशरीज एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड मैनेजमेन्ट में एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स।	निदेशक मत्स्य	2 वर्ष, जिसे सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर एक अतिरिक्त वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा।	विभाग द्वारा यथा निर्धारित	केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा यथा निर्धारित

विभागीय प्रोन्नति समिति	प्रोन्नति का पद	कुल पदों की संख्या	वेतनमान	संवर्ग नियंत्रि प्राधिकार	अभ्युक्ति
12	13	14	15	16	17
विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी सदस्य होंगे। 1. मत्स्य निदेशक— अध्यक्ष 2. संयुक्त मत्स्य निदेशक (अनु०)— सदस्य 3. संयुक्त मत्स्य निदेशक (रा०प०ई०)—सदस्य 4. अनु० जाति/जनजाति के एक पदाधिकारी जो उप मत्स्य निदेशक से न्यून स्तर के न हों— सदस्य 5. संयुक्त मत्स्य निदेशक (मु०)—सदस्य सचिव नोट:— विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रोन्नति विचारणीय होगी।	स्वीकृत कुल पदों एवं पदोन्नति के पद के संबंध में प्रशासी विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत आदेश नियुक्ति अथवा प्रोन्नति हेतु मान्य होगा।	स्वीकृत कुल पदों एवं पदोन्नति के पद के संबंध में प्रशासी विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत आदेश नियुक्ति अथवा प्रोन्नति हेतु मान्य होगा।	सरकार द्वारा समय—समय पर यथानिर्धारित	निदेशक मत्स्य	

स्पष्टीकरण I:—इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि को मत्स्य निरीक्षक एवं मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत सभी कर्मी स्वतः मत्स्य विकास पदाधिकारी पदनामित किये जाएंगे।

- (iv) **परिशिष्ट — I** के क्रम सं०— 6 एवं 7 के संविलयनोपरान्त, क्रम संख्या 07 को विलोपित किया जाता है।
- (v) **परिशिष्ट — I** के क्रम सं०—19 के कॉलम—2 में प्रयुक्त शब्द “प्रधान लिपिक—सह— लेखापाल एवं लेखापाल” शब्द को “उच्च वर्गीय लिपिक” द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।
- (vi) **परिशिष्ट — I** के क्रम सं०—5 से 13 एवं 16 से 20 तक कॉलम—8 में प्रयुक्त शब्द “पशु पालन एवं मत्स्य विभाग” शब्द “निदेशक मत्स्य” द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।
- (vii) **परिशिष्ट — I** के क्रम सं०—1 से 20 तक वर्णित पदों के वेतनमान संबंधित कॉलम 4 को विलोपित किया जाएगा और उसके स्थान पर निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाएगा:—
“परिशिष्ट—I में वर्णित पदों का वेतनमान/वेतन स्तर वही होगा, जो सरकार द्वारा, समय—समय पर, अवधारित किया जाय।”
- (viii) **परिशिष्ट — I** के क्रम सं०—1 से 20 तक वर्णित पदों के संख्या से संबंधित कॉलम 3, 13 और 14 को विलोपित किया जाएगा और उसके स्थान पर निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाएगा:—
स्वीकृत कुल पदों एवं पदोन्नति के पद के संबंध में प्रशासी विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत आदेश नियुक्ति अथवा प्रोन्नति हेतु मान्य होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
डा० एन. सरवण कुमार, सरकार के सचिव।

Animal and Fish Resources Department

No. Mo./Asta.A.Ra.(A.)-01/2015-In exercise of the powers conferred under proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following rules to amend the Bihar Animal and Fisheries Resource (Fisheries) Service Recruitment Rules, 2007 constituted to regulate procedures for the recruitment and promotion in the Animal and Fisheries Resources (Fisheries) service namely :-

1. **Short title, and commencement** – (1) These rules may be called The Bihar Animal and Fish Resources (Fish) Service Recruitment (Amendment) Rules, 2020.

- (2) It shall extend to whole State of Bihar.
- (3) It shall come into force with immediate effect.

2. Substitution at Rule 6 of the Bihar Animal and Fisheries Resources (Fisheries) Service Recruitment Rules, 2007. –

Rule 6 of the said Rules, 2007 shall be substituted by the following :-

“6. Procedure of the Recruitment- (1)- For recruitment to the posts described in Sl.no.5 and 6 of the **Appendix-I**, the department, after calculating the vacancies on the basis of 1st April, shall send the requisition to the Bihar Technical Service Commission. Accordingly the advertisement will be issued by the Commission and the merit list shall be prepared in the following manner:-

(a) Marks obtained for the educational qualification described for the direct recruitment in Para 7 of Sl. no. 5 and 6 of the **Appendix-I** 75 marks.

(b) On the basis of work experience of the employees appointed on contract basis for the work of agriculture and Fisheries sector in the Fisheries Directorate and subordinate offices or in other department of State Government or in the offices affiliated to the Government of Bihar- 25 marks.

(2) For educational qualifications, the work experience of the employees appointed on contract basis, calculation of marks shall be made in the following manner:-

(i) For the educational qualifications described in column-4, determination of marks to be given to the candidates shall be made by multiplying the percentage of marks obtained in the examination of the said courses by 0.75. Such as if 50% marks has been obtained by the candidates then $50 \times 0.75 = 37.5$ marks shall be given to him.

(ii) 5 marks for each working year maximum limit of which shall be 25 marks. For part of the year, proportionate marks will be added after multiplying the numbers of working days by 5 and then dividing it by 365.

3. Substitution of Rule 3(i) (iii) of the Bihar Animal and Fisheries Resources(Fisheries) Service Recruitment Rules 2007:-

Fisheries Development Officers /Junior Engineer.

4. Substitution of Rule 8 of The Bihar Animal and Fisheries Resources (Fisheries) Service Recruitment Rules, 2007:- Rule 8 of the said rules shall be substituted by the following:-

“8. Probation period indicated in Column 9 of the **Appendix-I** , shall be two years, which may be extended for a year for the reasons to be recorded in writing, if the service is not found satisfactory”.

5. Substitution of rule 9 of The Bihar Animal and Fisheries Resources (Fisheries) Service Recruitment Rules, 2007:- Rule 9 of the said rules shall be substituted by the following:-

“9. Training period indicated in Column 10 of the **Appendix-I** shall determined by the department from time to time”.

6. Substitution of Rule 10 of The Bihar Animal and Fisheries Resources (Fisheries) Service Recruitment Rules, 2007:- Rules 10 of the said rules shall be substitution by the following:-

“10. Subjects, syllabus and Procedure of the Departmental Examination for the direct recruitment to the posts mentioned in the Appendix-I of the Rules shall be determined in consultation with The Central Examination Committee, Board of Revenue, Bihar. Provisions of Column 11 of the Appendix-I related herewith shall accordingly be deemed to be automatically amended”.

7. Amendment of Appendix-I of the Bihar Animal and Fisheries Resources (Fisheries) Service Recruitment Rules, 2007:- Appendix-I appended to the said Rules shall be amended in the following manner:-

- (i) **“The District Fisheries Officer–cum–Chief Executive Officer/ Assistant Fisheries Director post described in column 2 of Sl. no. 4 of Appendix-I, shall be substituted by “The District Fisheries Officer-cum–Chief Executive Officer/Assistant Fisheries Director/Lecturer”**
- (ii) In the **Appendix-I** Column 2 of Sl. no. 5 the post described as **Fisheries Extension Officer/Junior Research Fellow /shall be substituted by Fisheries Extension Officer/ Junior Research Fellow/ Junior Lecturer** . The description of column 7 **“Graduate Degree in Fisheries Science from any recognized University, or Two Years Post Graduate Diploma in Fisheries Science from Central Institute of Fisheries Education, Mumbai”, shall be substituted by “Four Years Graduate Degree from Agriculture University recognized by Indian Council of Agriculture Research, New Delhi”. “On the basis of Seniority-cum-Merit of post holders of the cadre of Fisheries Inspector, who have completed at least 3 (three) years period of fixed time limit Words described in column 17 shall be substituted by the words “On the basis of Seniority-cum-Merit of post holders of Fisheries Development Officer, who have completed Kalawdhi (Including the period spent on post of Fisheries Inspector & Fisheries Extension Supervisor as determined by General Administrative Department, from time to time.**
- (iii) The post of Sl. no. 6 and 7 of **Appendix-I** shall be merged and designated as **“Fisheries Development Officer”** after amalgamation description of which shall be in the following manner. :-

S. No.	Name of Cadre/posts	Number of posts	Pay scale	Commission on whose recommendation appointment is to be considered.	Minimum and Maximum age limit
1	2	3	4	5	6
6	Fisheries Development Officer	No. of posts shall be same as determined by the administrative department from time to time	As decided by the Government from time to time	Bihar Staff Selection Commission or Bihar Technical Staff Selection Commission	Age limit determined by the State Government of Bihar

Minimum qualification for Direct Recruitment.	Appointment Authority	Probation Period	Training	Departmental Examination and syllabus
7	8	9	10	11
B.sc in Industrial Fish and Fisheries (Hons.) or B.sc. Aquaculture or M.Sc. (Zoology)	Director, Fisheries	Shall be of two years, which may be extended for a year for the reasons to be recorded in	As determined the Department	As determined By the Central Examination Committee, Revenue Board, Bihar.

(Special paper Fish) or one year Post Graduate Diploma in Inland Fisheries from Central Institute of Fisheries Education, Mumbai or one year certificate course in Fisheries Administration & Management from the centre of the Central Fisheries Education.		writing, if the service is not found satisfactory.		
--	--	--	--	--

Departmental Promotion Committee	Posts of Promotion	Number of total posts	Pay Scale	Cadre Controlling Authority	Remark1`s
12	13	14	15	16	17
Department Promotion Committee in which there will the following members:- 1. Director, Fisheries-Chairman. 2. Joint Director Fisheries (Research) Member 3. Joint Director Fisheries (SPU)-Member 4. An SC/ST officer not below the rank of Deputy Director-Member 5. Joint Director Fisheries (Headquarter) -Member - Secretary Note-Promotion will be considerable on the	No of promotional posts shall be same as it is determined by the administrative department from time to time.	No of total posts shall be same as it is determined by the administrative department from time to time.	As determined by the Government From time to time	Director Fisheries	

recommendation of the Departmental Promotion Committee.					
---	--	--	--	--	--

Explanation- All employees working on the post of Fisheries Inspector and Fisheries Extension Supervisor, shall automatically be designated as the Fisheries Development Officer, on the date of commencement of these Rules.

(iv) S.N.-7 of **Appendix-I** is deleted.

After the amalgamation of SL.6 & 7 of Appendix I. SL. 7 is deleted

(v) Words “Head Clerk-cum-Accountant and Accountant” used in Column-2 of S.no. 19 of Appendix-I and shall be substituted by the words “Upper Division Clerk” and

(vi) The words "Animal Husbandry and Fisheries Department" used in Column 8 of S.N.-5 to 13 and 16 of **Appendix-I** shall be substituted by the words "Director Fisheries".

(vii) The scale mentioned in the Column 4 relating to the Pay scale of the Posts described in S.N.-1 to 20 of **Appendix-I** shall be deleted and shall be substituted by the following sentences:-

“Pay Scale/Pay level of all the posts and no. of posts described in Appendix-I shall be same as it determined by the administrative department from time to time”.

(viii) The nos. mentioned in column no. 3, 13 & 14 of the posts described in s. no. 1 to 20 of **Appendix-I** shall be deleted and substituted by the following sentences:-

“Pay Scale/Pay level of all the posts and no. of posts described in Appendix-I shall be same as it determined by the administrative department from time to time”.

By the Order of Governor of Bihar,

Dr. N. Saravana Kumar,

Secretary to the Government.

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

27 जून 2020

सं० ग्रा०वि०-14 (सा०) गो०-02/2018-271382--श्री दृष्टि पाठक, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुचायकोट, (गोपालगंज) के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक-988/प्र० दिनांक 08.08.2018 के द्वारा पंचायत आम निर्वाचन 2006 का नामांकन पत्र अपराध ईकाई, बिहार को उपलब्ध नहीं कराने एवं बिहार पंचायत राज अधिनियम-2006 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन कर पंचायत आम निर्वाचन 2006 के नामांकन पत्रों के विनष्टीकरण के आरोप में आरोप पत्र गठित कर विभाग को प्राप्त हुआ। उक्त आरोप पत्र में वर्णित आरोप पर श्री पाठक से प्राप्त स्पष्टीकरण व जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के मंतव्य की समीक्षा

की गई। समीक्षोपरांत मामले की वृहत जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक-406286 दिनांक 15.01.2019 द्वारा श्री पाठक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री पाठक से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री पाठक द्वारा जिला पदाधिकारी गोपालगंज के पत्रांक-1349 दिनांक 02.12.2017 से निदेशित जिम्मेदार कर्मियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के प्रस्ताव की मांग किए जाने पर आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। उन्होंने केवल वर्ष 2006 में पदस्थापित कर्मियों की सूची उपलब्ध करा दी। अपने स्पष्टीकरण में उन्होंने अनपेक्षित उल्लेख कर वरीय पदाधिकारी को भ्रमित करने का प्रयास किया। इस प्रकार, श्री पाठक द्वारा मामले के तार्किक निष्पादन का कोई प्रयास नहीं किया एवं अपने पदीय उत्तरदायित्व का सम्यक निर्वहन नहीं गया।

सम्यक विचारोपरान्त श्री पाठक के विरूद्ध उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए 'असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि अवरूद्ध' की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

आदेश दिया जाता है कि उक्त दंड की प्रविष्टि श्री पाठक के सेवापुस्त में की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राहुल रंजन महिवाल, विशेष सचिव।

सं० 16/यू.1-13/2019-582 (आ०चि०)

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

बैद्यनाथ यादव,
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना
द्वारा- वित्त विभाग

पटना/दिनांक 25 जून 2020

विषय :- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के न्यूनतम मापदंड के अनुसार राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना में स्नातक में 100 सीट एवं 5 विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु कुल 30 पदों के सृजन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय में कहना है कि राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना राज्य में यूनानी चिकित्सा पद्धति का एक मात्र शैक्षणिक संस्थान एवं अस्पताल है जिसमें शैक्षणिक/चिकित्सा पदाधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत है। वर्तमान में राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना में बी.यू.एम.एस. के स्नातक पाठ्यक्रम में 40 सीटों पर नामांकन की अनुमति आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त है।

2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (यूनानी महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएँ) विनियम, 2013 के शिड्यूल-V के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 1136 (आ०चि०), दिनांक 04.10.2017 द्वारा राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना में विभागों में परिवर्तन किया गया है, जिसके कारण इलमुल सैदला विभाग में पद सृजन करना आवश्यक हो गया।

3. राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना में पाँच विषयों यथा 1. मोआलेजात, 2. इलमुल अदविया, 3. तहपफुजी-व-समाजी तिब्ब, 4. कुल्लियात एवं 5. माहियातूल अमराज में स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारम्भ करने हेतु विभागीय पत्रांक 1101 (आ०चि०), दिनांक 22.08.2019 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है तथा राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना में स्नातक पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता करने हेतु विभागीय पत्रांक 1100 (आ०चि०), दिनांक 22.08.2019 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

4. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के न्यूनतम मापदंड के अनुसार राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना में स्नातक में 100 सीट एवं 5 विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु वित्त विभागीय पत्रांक 1917 दिनांक 13.03.2020 के द्वारा प्रशासी पदवर्ग समिति की दिनांक 04.02.2020 की बैठक की कार्यवाही की क्रम सं० 12 में निम्नलिखित 30 पदों के सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है, जिसके आलोक में निम्नलिखित पदों का सृजन किया जाता है:-

क्र० सं०	विभाग का नाम	पदनाम	वेतन स्तर	पदों की सं०
1	इलमुल सैदला	प्राध्यापक	12	1
2	इलमुल सैदला	प्रवाचक	11	1
3	माहियातुल अमराज	प्रवाचक	11	1

4	मोआलेजात	प्रवाचक	11	1
5	इलमुल सैदला	व्याख्याता	9	1
6	मोआलेजात	व्याख्याता	9	1
7	सम्प्रेषण कौशल	व्याख्याता	9	1
8	भौतिकी	व्याख्याता	9	1
9	अस्पताल	आर० एम० ओ०	9	4
10		असिस्टेंट मेट्रान	8	2
11		फारमासिस्ट	2	2
12	अस्पताल एवं नैदानिक विभाग	सीनियर रेसीडेन्ट	9	5
13	सेन्ट्रल लैब	बायोकेमिस्ट	6	1
14		फरमाकोलॉजिस्ट	6	1
15		माईक्रोबायोलॉजिस्ट	6	2
16	संयुक्त रूप से पी०जी० विभाग के लिए	बायोस्टेटीशीयन	6	1
17	1-1 इलमुल अदवीया एवं माहेयातुल अमराज	लैब टेकनिशीयन	5	2
18	विभाग (पी०जी०) के लिए	लैब असीस्टेंट	2	2
कुल योग				30

5. राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना में उपरोक्त 30 पदों के सृजन में 2,35,11,204 /— (दो करोड़ पैंतीस लाख ग्यारह हजार दो सौ चार) रु० वार्षिक व्यय का अनुमान है।

6. यह राशि व्यय शीर्ष 2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य- 05 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-103 यूनानी-0001 तिब्बी कॉलेज, पटना विपत्र कोड- 20-2210051030001 अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

7. राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।

8. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित संस्थान के प्राचार्य होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी महानिदेशक (आयुष), आयुष निदेशालय, बिहार, पटना होंगे।

9. एतद् संबंधी प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

10. प्रस्ताव एवं प्रारूप में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

11. इन पदों के सृजन किये जाने हेतु मंत्रिपरिषद् की दिनांक-16.06.2020 की बैठक में मद संख्या-08 के रूप में सम्मिलित एवं स्वीकृत किया गया है।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 12-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण
सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No. 802—I, SAUMYA Daughter of Mr. Justice Chakradhari Sharan Singh Resident of B-95, Police Colony, Anisabad, PS-Gardanibagh, District-Patna declare hereby that I have changed my name for the purpose of adding a surname to be known as Saumya Singh vide affidavit no. 162 dated 21.04.2020 sworn before Mr. Dharmendra Kumar. The Notary Public Patna.

SAUMYA.

सं० 826—मैं, अनुपमा, पति—राजीव रंजन, मकान संख्या—281, नेहरु नगर, पो०+थाना—पाटलिपुत्र, जिला—पटना—13 (बिहार), शपथ पत्र संख्या—1592 दिनांक 15/02/2020 से अनुपमा रंजन के नाम से जानी जाऊंगी।

अनुपमा।

No. 826—I, Anupama, w/o Rajeev Ranjan, R/o-House no. 281, Nehru Naga, PO&PS-Patliputra, District-Patna (Bihar)-13 do hereby declare vide Affidavit no. 1592 dated 15/02/2020 that now onwards I will be known as Anupama Ranjan.

Anupama.

No. 827—I, SYED Ibrar Ahmad and S. Ibrar Ahmad and also Ibrar Ahmad is one and same person and I will known as Syed Ibrar Ahmad hence this Aff. No. 2494 dated 17.02.2020, S/o Md. Afzal and Md. Afzal Ahmad is one & same person (Cast-Syed) who is my father hence this Affidavit. R/o Dariyapur, Dubey Gali, Patna-4.

SYED Ibrar Ahmad.

सं० 828—मैं, आमोद कुमार, पिता—स्वर्गीय रामनंदन सिंह, पता—ग्राम+पोस्ट—दतियाना, थाना—बिक्रम, जिला—पटना, बिहार 801104 शपथ पत्र सं०—13660 दिनांक 26.11.2019 द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरी बेटी सपना अब सपना शर्मा के नाम से जानी जाएगी।

अमोद कुमार।

No. 828--I, **Amod Kumar**, S/o Late Ramnandan Singh, R/o-Vill + P.O.-Datiyana, P.S. Bikram, Dist.-Patna, Bihar 801104 do hereby declare vide Affidavit No. 13660 dated 26/11/2019 that now onwards my daughter SAPNA will be known as **SAPNA SHARMA**.

Amod Kumar.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 12-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट

का

पूरक (अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0 स्था0 03-13/1990-697
गन्ना उद्योग विभाग

संकल्प

19 जून 2020

श्री सुधाकर पाण्डेय, ईख पदाधिकारी, गोपालगंज को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिनांक 19.02.2009 को रंगे हाथ रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिये जाने के कारण विभागीय अधिसूचना सं0-361 दिनांक 04.03.2009 द्वारा निलंबित किया गया एवं निगरानी अन्वेषण ब्यूरो विभाग के पत्रांक-275 दिनांक 24.02.2009 द्वारा संसूचन निगरानी थाना कांड सं0-013/2009 दिनांक 19.02.2009 के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त श्री पाण्डेय के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं0-1380 दिनांक 31.08.2009 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसके संचालन पदाधिकारी संयुक्त ईखायुक्त, ईख विकास मुख्यालय एवं उपस्थापन पदाधिकारी विशेष ईख पदाधिकारी, गोपालगंज नियुक्त किये गये। जेल से जमानत पर रिहा होने के पश्चात् श्री पाण्डेय द्वारा दिनांक 15.09.2009 को विभाग में योगदान दिया गया, जिसे विभागीय अधिसूचना संख्या-1025 दिनांक-26.09.2009 द्वारा योगदान को स्वीकृत करते हुए उन्हें निलंबन मुक्त किया गया।

2. उपरोक्त संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन संचालन पदाधिकारी द्वारा दिनांक 22.06.2010 को विभाग में समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि विभागीय कार्यवाही पर निर्णय हेतु क्रिमिनल ट्रायल की प्रतीक्षा की जाय।

3. वर्ष 2014 में घूस लेते रंगे हाथों पकड़े जाने एवं भ्रष्टाचार से संबंधित मामले की संपन्न समीक्षात्मक बैठक माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 15.01.2014 के आलोक में श्री पाण्डेय के विरुद्ध प्राप्त जाँच प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण पाये जाने एवं आपराधिक मामला न्यायालय में लंबित रहने तथा संचालित विभागीय कार्यवाही पर कोई निर्णय नहीं होने के फलस्वरूप सी0सी0ए0 नियम 2005 के नियम 18 (1) के तहत पुनः श्री पाण्डेय को निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने के निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना-322 दिनांक 07.02.2014 के द्वारा श्री पाण्डेय को निलंबित किया गया एवं विभागीय संकल्प सं0-753 दिनांक 25.03.2014 द्वारा श्री पाण्डेय के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसके संचालन पदाधिकारी, संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना एवं उपस्थापन पदाधिकारी विशेष ईख पदाधिकारी, गोपालगंज नियुक्त किये गये।

4. उपरोक्त निर्गत अधिसूचना/संकल्प के विरुद्ध श्री पाण्डेय के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में निलंबन अधिसूचना सं0-322 दिनांक 07.02.2014 एवं विभागीय कार्यवाही संकल्प सं0-753 दिनांक 25.03.2014 को निरस्त करने हेतु सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-9369/14-दायर किया गया, जिसमें दिनांक 07.01.2015 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पारित न्यायादेश में दोनों यथा- विभागीय निलंबन एवं संकल्प को **Set aside and quashed** कर दिया गया। उक्त पारित न्यायादेश की प्रति के साथ वादी श्री पाण्डेय द्वारा दिनांक 23.01.2015 को विभाग में योगदान देकर योगदान स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

5. उपरोक्त पारित न्यायादेश के आलोक में श्री पाण्डेय द्वारा दिये गये योगदान को स्वीकृत करने एवं पुनः संचालित विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने के बिन्दु पर विधि विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया। विधि विभाग का परामर्श निम्नांकित है:-

- (क) माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश की कंडिका-15 के आलोक में संबंधित कर्मी का योगदान प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाय।
- (ख) यदि विभाग के विचार में आता है कि यह मामला लोकहित में है, तो सी0सी0ए0, 2005 के नियम 9 (1) (सी0) के तहत लोकहित में इस बात की विशेषता को दर्शाते हुए पुनः दुबारा निलंबित करना आवश्यक है, तो योगदान स्वीकार कर निलंबित कर सकते हैं।
- (ग) विभाग द्वारा पहले दिये गये आदेश, जिसमें आपराधिक मामले की प्रतीक्षा करने का निर्णय है, अनुशासनिक प्राधिकार का अगर विचार हो, तो पहले चलायी गयी विभागीय कार्यवाही का जाँच रिपोर्ट में दिये गये तथ्य

से संतुष्ट नहीं हों, तो फिर से संबंधित कर्मों को **Show Cause** का जवाब देने का अवसर देकर जवाब की समीक्षा की जाय। विभागीय कार्यवाही पर अंतिम निर्णय विभाग का ही होगा।

6. विधि विभाग के उपर्युक्त परामर्श पर सरकार द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-9369/14-सुधाकर पाण्डेय बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 07.01.2015 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पारित न्यायादेश के आलोक में श्री सुधाकर पाण्डेय, निलंबित विशेष ईख पदाधिकारी, पटना (तत्कालीन) द्वारा दिनांक 23.01.2015 को विभाग में दिये गये योगदान आवेदन को स्वीकृत करने एवं पद रिक्ति के आलोक में पदस्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

7. तद्आलोक में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-9369/14-सुधाकर पाण्डेय बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 07.01.2015 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में वादी श्री सुधाकर पाण्डेय, विशेष ईख पदाधिकारी, जिन्हें विभागीय अधिसूचना संख्या-322 दिनांक 07.02.2014 द्वारा निलंबित किया गया था एवं विभागीय संकल्प सं0-753 दिनांक 25.03.2014, जिसके द्वारा श्री वादी श्री पाण्डेय के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी, को निरस्त/विलोपित करत हुए श्री पाण्डेय के योगदान आवेदन को स्वीकार किया गया।

8. श्री सुधाकर पाण्डेय, तत्कालीन विशेष ईख पदाधिकारी, गोपालगंज प्रतिनियुक्त विशेष ईख पदाधिकारी, पटना दिनांक 13.06.2018 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

9. सामान्य प्रशासन विभाग से प्रश्नगत मामले में परामर्श की मांग की गई। सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त परामर्श निम्नवत है—

“श्री सुधाकर पाण्डेय के विरुद्ध नये सिरे के कोई विभागीय कार्यवाही संचालित नहीं की जानी है, बल्कि प्रशासी विभाग के संकल्प संख्या-1380 दिनांक 31.08.2009 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गिकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18 में निहित प्रावधान के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। चूंकि आरोपित पदाधिकारी श्री पाण्डेय सम्प्रति सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसलिए सर्वप्रथम उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43बी के तहत सम्पूरित किया जाना होगा।”

अतएव: सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त उपर्युक्त परामर्श के आलोक में श्री सुधाकर पाण्डेय, तत्कालीन विशेष ईख पदाधिकारी, गोपालगंज प्रतिनियुक्त विशेष ईख पदाधिकारी, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध इस कार्यालय के संकल्प ज्ञापांक संख्या-1380 दिनांक 31.08.2009 से संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43/बी के तहत सम्पूरित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया जाता है।

प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नरेश कुमार, अवर सचिव।

सं0 रे0/यो0/संचालन- 01/19-1868
उद्योग विभाग

संकल्प

25 जून 2020

विषय-हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के अधीन कार्यरत रेशम कार्यालयों/केन्द्रों/फार्मों के संचालन के संबंध में।

विभागीय संकल्प संख्या 346 दिनांक 17.01.19 के द्वारा विभिन्न जिलों में हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, तकनीकी विकास निदेशालय एवं विभाग के अधीन निगम/बोर्ड के प्रमंडलीय एवं इससे संलग्न क्षेत्रीय कार्यालयों को पदबल सहित संबंधित जिला उद्योग केन्द्र में स्थानांतरित किया गया था।

उपर्युक्त के आलोक में कार्यरत कार्यालय निजी परिसर छोड़ते हुए एवं सरकारी परिसर में कार्यरत कार्यालय/केन्द्रों/फार्मों को अपने परिसर खाली कर बियाड़ा को सौंपते हुए संबंधित जिला उद्योग केन्द्र से कार्य करना था। साथ ही इन केन्द्रों में कार्यरत कर्मियों के वेतनादि की निकासी भी महाप्रबंधक द्वारा की जानी थी।

2. रेशम उत्पादन, पर्यावरण एवं रेशम फार्मों/केन्द्रों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में हो रही व्यावहारिक कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए संकल्प संख्या 346 दिनांक 17.01.19 में लिए गए उक्त निर्णय को रेशम प्रक्षेत्र के संदर्भ में शिथिल/विलोपित कर पुरानी व्यवस्था पूर्ववत् जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

3. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 12-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>